रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 202] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 23, 2017/माघ 3, 1938
No. 202] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 23, 2017/MAGHA 3, 1938

गृह मंत्रालय

(आंतरिक सुरक्षा-I प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जनवरी, 2017

का.आ. 224(अ).—जबकि, केन्द्रीय सरकार ने, राष्टीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) (जिसे इसके बाद उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 11 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 29 अप्रैल, 2011 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित दिनांक 29 अप्रैल, 2011 की अधिसूचना संख्या का.आ. 951(अ) के तहत सिलिगुड़ी स्थित वरिष्ठतम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय को उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) के प्रयोजनार्थ अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया था, जिसका क्षेत्राधिकार पश्चिम-बंगाल राज्य के दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी तथा कूच-बिहार के जिलों की सीमा के अंदर था;

और जबकि, श्रीमती चन्द्राणी मुखर्जी (बनर्जी), अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिलिगुड़ी, दार्जिलिंग, जिन्हें दिनांक 18 दिसम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित दिनांक 18 दिसम्बर, 2014 की अधिसूचना सं. का.आ. 3233(अ) के तहत उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने हेतु न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था, का सिलिगुड़ी से स्थानातंरण हो गया है;

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-11 की उप-धारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा 18 दिसम्बर, 2014 की अधिसूचना संख्या का.आ. 3233(अ) का अधिक्रमण करते हुए, सिवाय उन कार्यों के जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व सम्पादित कर लिया गया था अथवा करने से लोप कर दिया गया था, कोलकाता उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर श्री अजय कुमार दास, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रथम न्यायालय, सिलिगुड़ी, दार्जिलिंग को एतद्द्वारा, उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने हेतु न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. 17011/50/2009-आईएस-IV)]

सुधीर कुमार सक्सेना, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(INTERNAL SECURITY-I DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd January, 2017

S.O. 224(E).—Whereas in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government had, vide notification number S.O. 951(E), dated the 29th April, 2011, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 29th April, 2011, notified the Court of the Seniormost Additional District and Sessions Judge at Siliguri as the Special Court for the purposes of sub-section (1) of section 11 of the said Act having jurisdiction within the Districts of Darjeeling, Jalpaiguri and Cooch Bihar of the State West Bengal for the trial of Scheduled Offences

And whereas, Smt. Chandrani Mukherjee (Banerjee), Additional District and Sessions Judge, Siliguri, Darjeeling, who was appointed as the Judge to preside over the said Special Court vide notification number S.O. 3233(E), dated the 18th December, 2014, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 18th December, 2014, has been transferred from Siliguri;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (3) of Section 11 of the said Act and in supersession of the notification number S.O. 3233(E), dated the 18th December, 2014, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, on the recommendation of the Hon'ble Chief Justice of the High Court of Calcutta, hereby appoints Shri Ajay Kumar Das, Additional District and Sessions Judge, 1st Court, Siliguri, Darjeeling as the Judge to preside over the said Special Court.

[F. No. 17011/50/2009-IS-IV]

SUDHIR KUMAR SAXENA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2017.01.24 23:06:46 +05'30'